

फाइल न. ए.12018/11/2020-Lep
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में, रसोइया (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में रसोइया (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 508-डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। shorn.singh27@gov.in

शोरन सिंह

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061436

नई दिल्ली
दिनांक

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख.....2021

सा. का. नि.....राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1978, जहाँ तक इसका संबंध रसोइया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, रसोइया, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद है या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रसोइया ।	*05(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1, (18,000 - 56,900/-रु. ।	लागू नहीं ।	18 से 25 वर्ष के बीच* *18 से 27 वर्ष के बीच यदि भर्ती अखिल भारतीय ओपन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है । केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 1:- आयु-सीमा का अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप	आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या इसके समकक्ष; 2. सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सफलतापूर्वक केटरिंग कोर्स (न्यूनतम एक वर्ष) होना चाहिए । 3. संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी पराक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह रे है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

					के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	<p>सीधे भर्ती द्वारा</p> <p>नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों;</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।</p>	लागू नहीं होता ।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अतिरिक्त निदेशक(क्लीनिकल), केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु- अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक (शल्य चिकित्सा), केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु- सदस्य 4. उस क्षेत्र में किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य । 	लागू नहीं है ।
------------------	-----------	--	------------------	---	----------------

फा.सं. ए.12018/11/2020-एलईपी

(शोरन सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार